

[2025] 12 एस.सी.आर. 439 : 2025 आईएनएससी 1412

सुरेंद्र कुमार

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 5398/2025)

09 दिसंबर 2025

[मनोज मिश्रा और उज्ज्वल भुयान, जे. जे.]

विचारार्थ मुद्दा

क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता को 1860 के दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध से कम अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

सारांश टिप्पणियाँ

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 302; धारा 300 के अपवाद - धारा 302 के तहत दोषसिद्धि, कब उचित है - अपीलकर्ता को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया - क्या उसे धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध से कम अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है:

अभिनिर्धारित किया गया: नहीं - ऐसी कोई राहत देने वाली परिस्थितियाँ नहीं हैं जिनके आधार पर अभियुक्त की सजा को कम किया जा सके या उसे 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के बजाय किसी कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सके। मृतक के शरीर पर चार छुरी के वार पाए गए, जो यह दर्शाते हैं कि आरोपी ने क्रूरता के साथ कार्य किया। सामान्य परिस्थितियों में ये चोटें मृत्यु का कारण बनतीं। इसके अलावा, प्रतिरक्षा की ओर से कोई सबूत पेश नहीं किया गया; और 313 सी. आर. पी. सी. के तहत अभियुक्त का बयान केवल नकारात्मक था। इसमें यह नहीं कहा गया कि मृतक ने अभियुक्त पर हमला किया या उसे कोई चोट पहुँचाई। तथ्यों के आधार पर, आईपीसी की धारा 300 की किसी भी चार अपवादों का लाभ अभियुक्त को नहीं मिल सकता। [पैरा 5,7-11]

दंड संहिता, 1860 - धारा 300 के अपवादों का लाभ - ऐसे मामलों में उपलब्ध नहीं होता। [पैरा 5,7-11]

उद्धृत न्यायिक निर्णय

भगवान मुंजाजी पावडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) 3 एस. सी. सी. 330- पर भरोसा किया।

अवधेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। [2019] 17 एससीआर 185:
(2019) 10 एस. सी. सी. 323- संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

मुख्य शब्दों की सूची

धारा 302, दंड संहिता, 1860; धारा 300 आईपीसी के किसी भी चार अपवादों का लाभ उपलब्ध नहीं; निहत्थे व्यक्ति पर चाकू के वार किए गए; शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर चोट, अभियुक्त ने क्रूर तरीके से कार्य किया; चोटों के आदान-प्रदान के कोई प्रमाण नहीं; उत्तेजना गंभीर और अचानक नहीं थी; आत्म-नियंत्रण खोया नहीं; कोई राहत देने वाली परिस्थितियाँ नहीं; सजा को 302 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को कम गंभीर अपराध में बदलकर कम नहीं किया जा सकता।

मामला सामने आ रहा है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील संख्या 5398/2025
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.05.2024
में क्रिमिनल अपील संख्या 263/2021 के संदर्भ में।

पक्षकारों की ओर से उपस्थित

अधिवक्ता अपीलकर्ताओं के लिए:

अजय मारवाह, स्वरूपान, और मिश्रा, मृगांक भारद्वाज, सुश्री धृति शर्मा,
राहुलकुमार, राजीव सेठी।

अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण के लिए:

वरिंदर कुमार शर्मा।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

1. अनुमति दी गयी ।
2. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध विषय-वस्तु का अध्ययन किया है।
3. अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में आई. पी. सी.) की खंड 302 के तहत दोषी ठहराया गया है। उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के तहत उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि करता है।
4. इस अपील में 24.03.2025 को इस बात पर विचार करने के लिए एक सीमित नोटिस जारी किया गया था कि क्या अपीलकर्ता को इससे कम के अपराध के लिए दोषी

ठहराया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) की धारा 302 के तहत दंडनीय।

5. शव परीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर चाकू से चार बार किए गए थे। कॉमन कैरोटिड तथा सब-क्लेवियन धमनियाँ कटी हुई पाई गईं। इस प्रकार, हमारे विचार में, सामान्य रूप से मृतक के शरीर पर पाई गई चोटों के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई होगी। बचाव पक्ष की ओर से कोई सबूत नहीं दिया गया और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी. आर. पी. सी.) की धारा 313 के तहत याचिकाकर्ता का बयान इनकार करने वाला था। इसके अलावा, ऐसा कोई बयान नहीं था कि मृतक ने अपीलकर्ता पर हमला किया था या अपीलकर्ता को कोई चोट या नुकसान पहुंचाया था। उस संदर्भ में, हम यह जाँच करेंगे कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत दिए गए चार अपवादों में से किसी एक का लाभ याचिकाकर्ता को उपलब्ध हो सकता है या नहीं।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि साक्ष्य से संकेत मिलता है कि मृतक नशीली दवाओं का आदी था और घटना से पहले जोर से चिल्लाहट सुनी गई थी। इसके आधार पर उनका यह तर्क है कि घटना से पहले कहासुनी/झगड़ा हुआ था और इसलिए यह घटना ऐसे हालात में हुई कि यह या तो अपवाद 2 के अंतर्गत आ सकती है, अर्थात् आत्मरक्षा के अधिकार की सीमा का अतिक्रमण, अथवा अपवाद 4 के अंतर्गत, अर्थात् बिना पूर्व-विचार के अचानक हुई लड़ाई में आवेश की अवस्था में घटित घटना। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अभियुक्त को भी चोटें आई थीं।
7. हमारे विचार में, विचाराधीन अधिनियम अपवाद 2 के तहत नहीं आएगा क्योंकि, सबसे पहले, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि आरोपी या उसकी संपत्ति पर मृतक द्वारा हमला किया गया था। यहां तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनके बयान में भी आत्मरक्षा या अपीलकर्ता को कोई चोट पहुँचाने वाले मृतक की कोई याचिका नहीं उठाई गई थी। इसके अलावा, कोई बचाव साक्ष्य नहीं दिया गया था। इसके अलावा, यह नहीं दिखाया गया है कि मृतक हथियारबंद था। ऐसी परिस्थितियों में, हमारे विचार में, अपवाद 2 का लाभ याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं होगा।
8. जहां तक अपवाद 4 की बात है, जानबूझकर की गई हत्या का काम मर्डर नहीं माना जाएगा, अगर ये शर्तें पूरी होती हैं: (i) पहले से कोई प्लानिंग न हो; (ii) अचानक लड़ाई हुई हो; (iii) यह काम गुस्से में किया गया हो; और (iv) हमलावर ने कोई गलत फायदा न उठाया हो या बेरहमी से काम न किया हो। यद्यपि 'लड़ाई' शब्द को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी निरंतर स्वीकृत दृष्टिकोण यह है कि इसका अर्थ आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा किया गया पारस्परिक हमला है, न कि

मात्र मौखिक तकरार।

9. भगवान मुंजाजी पावडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1978) 3एस. सी. सी. 330 (पैरा 6) में अवधेश कुमार बनाम यू. पी. और ए. एन. आर. राज्य, (2019) 10एस. सी. सी. 323 का अनुसरण किया गया और पुष्टि की गई, इस न्यायालय ने कहा कि जहां अभियुक्त सशस्त्र है और मृतक निहत्थे है, वहां अपवाद 2 आवेदन कर सकता है और अपवाद 4 से धारा 300 तक लागू नहीं होगा यदि अचानक झगड़ा होता है लेकिन मृतक और अभियुक्त के बीच कोई लड़ाई नहीं होती है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 'लड़ाई' बहुपक्षीय लेन-देन को अभिनिर्धारित करती है जिसमें प्रहारों का आदान-प्रदान किया जाता है।
10. तत्काल मामले में, प्रहारों के आदान-प्रदान का कोई सबूत नहीं है। हमारे विचार में, इसलिए यह मामला धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त, एक निहत्थे व्यक्ति के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर चाकू से चार बार किया जाना इस बात का संकेत है कि अभियुक्त ने क्रूर तरीके से कार्य किया।
11. अंततः, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि चाकू से बार झगड़े के बाद किए गए थे, इसलिए यह मामला धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत आ सकता है। हमारे विचार में, यह खुलासा करने के लिए रिकॉर्ड पर बहुत अधिक सबूत नहीं हैं कि उकसावा इतना गंभीर और अचानक था कि अपीलकर्ता अपने आत्म-नियंत्रण से वंचित हो गया था।
12. उपरोक्त कारणों से, हम ऐसी कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं पाते हैं जिसके आधार पर हम भा.दं.सं. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि में बदलाव करके सजा को कम कर सकते हैं।
13. नतीजतन, याचिका खारिज कर दी जाती है।
14. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा।

मामले का परिणाम: याचिका खारिज कर दी गई।

¹हेड नोट्स तैयार किए गए: दिव्या पांडे